कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 08/05/2025

क्रमांक/ 2189/2/स्थापना./2025

–:: आदेश ::–

कलेक्टर, जिला–इन्दौर व्दारा उनके पत्र क्रमांक 588/स्थापना/2025 इन्दौर, दिनांक 08.05.2025 व्दारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मल्हारगंज, जिला इन्दौर व्दारा उन्हें प्राप्त शिकायत के आधार पर शिकायत की जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर व्दारा ग्राम जाख्या स्थित भूमि के नामांतरण प्रकरण क्रमांक 0081/अ–6/2025–2026 में पटवारी के माध्यम से आवेदिका श्रीमती सुनीता दीक्षित के फौती नामांतरण के प्रकरण में राशि लिये जाने की मांग की गई।

श्री नागेन्द्र त्रिपाठी व्दारा हल्का पटवारी के माध्यम से राजस्व प्रकरण के निराकरण में अनुचित तरीके से राशि मांगने के आक्षेपों के संबंध में श्री त्रिपाठी की भूमिका संदेहास्पद रही है। श्री त्रिपाठी व्दारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/अ–13/2025 (आवेदक अंकित गुप्ता पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता) में पारित आदेश दिनांक 21.04.2025 में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 में निहित प्रावधानों का पालन किये बिना तथा बिना स्थल निरीक्षण किये मात्र पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय भूमि (सेवा भूमि कोटवार) सर्वे नंबर 24 से निजी खातेदार को नवीन मार्ग उपलब्ध कराया गया जबकि शासकीय भूमि होने से भूमि में शासन का हित निहित था तथा शासन हित रक्षण करने का दायित्व संबंधित तहसीलदार का था।

अतः श्री त्रिपाठी व्दारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में राशि की मांग करने एवं नियमों के विपरीत आदेश पारित किये जाने से उनका उक्त कृत्य म0प्र0सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक), (दो) एवं (तीन) के विपरीत होने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से उन्हें म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम–9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला कार्यालय, कलेक्टोरेट, जिला इन्दौर निर्धारित किया जाता है।

श्री त्रिपाठी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(दीपक सिंह)
आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

पृ.क्रं. 2190/2/स्थापना/2025 इन्दौर, दिनांक 08/05/2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म0प्र0भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज इन्दौर को उक्त आदेश तत्काल तामील कराकर, तामिली रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आरोप–पत्रादि के प्रारूप मय सुसंगत दस्तावेजों सहित 07 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में अनिवार्यतः भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. श्री नागेन्द्र त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज इन्दौर ओर पालनार्थ। **(व्दाराः–कलेक्टर, जिला इन्दौर)**

आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर